रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 1976/आषाढ़ 29, 1898
No. 327] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 1976/ASADHA 29, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July 1976

S.O. 484(E).—Whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby directs that in respect of the sales of goods specified in column (2) of the Table below, which are made in the course of inter-State trade or commerce by any dealer having his place of business in the Union territory of Delhi to a registered dealer having his place of business outside that Union territory the tax payable under sub-section (1) of the said section 8 shall be calculated at the rate specified against such goods in column(3) of the said Table.

TABLE

S. No (1)	Description of goods (2)	Rate of tax (3)
1	Dry fruits	2 per centum
2	Tea	2 per centum
3	Sarson, toria till or taramira oil (not being hydrogenated vegetable oil)	1 per centum

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazettee

[No. U 15034/7/76-Delhi]

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.

गृह मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

का० आ० 484 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना द्वारा निदेश करती है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल के उस विक्रय की बाबत जो, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, किसी ऐसे व्यौहारी द्वारा जिसके कारबार का स्थान दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को, जिसके कारबार का स्थान उक्त संघ राज्यक्षेत्र से बाहर है, किया जाता है, उक्त धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन देय कर की गणना उस दर पर की जाएगी जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में ऐसे माल के सामने विनिर्दिष्ट है।

सारणी

क्रम सं० (1)	माल का विवरण (2)	कर की दर (3)
1	मेवा (ड्राई फ्रूट)	2 प्रतिशत
2	चाय	2 प्रतिशत
3.	सरसों, टोरिया, तिल या तारामीरा तेल (जो कि हाइड्रोजनकृत वनस्पति तेल नहीं है)	1 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं० यू-15034/7/76-दिल्ली]

के० सी० पांडेय, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1976